यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.10.2018 से 15.10.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अनुप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.02.2018 से 27.02.2018 तक श्री के.एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः क्रियाकलाप- वन्यजीव संरक्षण एवं वनों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जोशीमठ रेन्ज एवं गोविन्दधार रेन्ज

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	88.63
2016-17	147.03
2017-18	84.06

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	89.07	416.50	393.14	367.29	410.04	0	69.68
2016-17	-	38.23	473.18	437.74	334.06	363.77	0	43.96
2017-18	-	8.22	566.68	494.16	422.90	393.32	0	110.32

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टीग्रेटड डेवलपमेन्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैरीटेज	-	86.75 47.49	134.24	

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो – इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मनेजमेंट(4.23 लाख)

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-84 वर्ष 2018-19

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम वसूली ` 239.21 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग, जोशीमठ के राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत दो वर्षों में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (` लाख में)	प्राप्ति (` लाख में)	कम प्राप्ति (` लाख में)
2016-17	1104.10	147.03	957.07
2017-18	323.27	84.06	239.21

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में ` 239.21 लाख राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि निगम द्वारा विकास कार्यों हेतु आवंटित लॉट के सम्बंध में रॉयल्टी का भुगतान न किये जाने तथा पर्यटक कम आने के कारण राजस्व संग्रह कम हुआ। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा यह भी कहा गया कि आगामी वर्षों मे लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पूर्ण कोशिश की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 मे प्रभाग द्वारा ` 147.03 लाख राजस्व संग्रह किया गया था जबकि वर्ष 2017-18 मे उपरोक्त विवरण अनुसार शासन द्वारा ` 780.83 लाख राजस्व लक्ष्य कम कर दिये जाने उपरान्त भी इकाई द्वारा ` 84.06 लाख ही राजस्व प्राप्ति की गयी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 2: लीज रेन्ट न वसूल किया जाना ` 37.97 लाख।

शासनादेश संख्या: 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनाँक 09.09.2005 के बिन्दु संख्या 2 व 3.2.5 के अनुसार विभिन्न विकास कर्ताओं को लीज पर दी गयी वन भूमि के प्रीमियम की धनराशि का 10 प्रतिशत अथवा 01 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान किया गया है। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नंदादेवी राष्ट्रीय वन-प्रभाग में लीज रेंट जमा से संबन्धित पंजिका एवं पत्रावली की जाँच में पाया गया कि निम्नानुसार 04 लीजधारकों द्वारा अपना लीज रेन्ट लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक जमा नहीं कराया गया था:

क्रम सं॰	लीजधारक का नाम	प्रयोजन	लीज की अवधि		लीज रेंट/वर्ष (₹ में)	अवधि जब से देय है		वर्ष	बकाया लीज रेंट (₹ में)	टिप्पणी
-	-	-	from	to	-	from	to	-	-	-
1	यू॰जे॰वी॰एन॰, लि॰	श्री बद्रीनाथ लघु जल विद्धुत परियोजना	2001	2031	24975	-	2017-18	1	24975	
2	ऋषिगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	ऋषिगंगा जल विधयुत परियोजना का निर्माण	2001	2031	60481	2015-16	2017-18	3	181443	
3	ऋषिगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	ऋषिगंगा जल विधयुत परियोजना का निर्माण	2007	2037	159720	2014-15	2017-18	4	638880 + 433804	रु 433804 वर्ष 2010-11 से 2013-14 का अवशेष
4	जीएम आर एनेर्जी	अलकनंदा जल विधयुत परियोजना हेतु	2012	2042	1258740	2016-17	2017-18	2	2517480	
	Total								**3796582**	

अतः उपरोक्तानुसार लीजधारकों से ₹ 37,96,582/- लीज रेन्ट वसूल किया जाना था जिस पर नियमानुसार जमा किए जाने की तिथि तक ब्याज भी देय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अवशेष लीज रेंट की वसूली हेतु कार्यालय स्तर से लीजधारकों से पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत 01 से 04 वर्षों से इन लीजधारकों से लीज रेंट की वसूली नहीं गयी थी।

अतः लीज रेन्ट ₹ 37,96,582/- वसूल न हो पाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 3: वन-निगम द्वारा रॉयल्टी जमा न कराया जाना ` 14.04 लाख ।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31 (ख) जो कि देवदार, कैल व फर की लाटों से संबन्धित है, की शर्त के अनुसार यदि कोई लॉट दिसम्बर/जनवरी के बाद असमय आवंटित की जाये तो प्रभा॰ वनाधिकारी द्वारा रॉयल्टी भुगतान की तिथियाँ तय की जाएँगी। बिन्दु संख्या 33(2) के अनुसार वन विकास निगम यदि रॉयल्टी की किश्तें विलम्ब से जमा करता है तो उससे विलम्ब शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में लॉट आवंटन से सम्बन्धी पत्रावलियों की जाँच मे निम्न बिन्दु प्रकाश मे आये:

(1) कार्यालय के पत्रांक 5023/9-1(3) दिनाँक 07.06.2017 द्वारा **तोलमा वन पंचायत मे लॉट संख्या 02/2017-18** का आवंटन वन विकास निगम को किया गया था। लॉट की अवधि 15.06.2017 से 31.07.2017 तक थी एवं इसमे कुल 648 वृक्ष थे। वन विकास निगम के पत्र संख्या 1646/रॉयल्टी जनरल/2017-18 दिनाँक 23.03.2018 के अनुसार उक्त लॉट की रॉयल्टी धनराशि ₹ 11,87,894/- आंगणित की गयी थी।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा उक्त लॉट से संबन्धित रॉयल्टी ₹39,597/- दिनाँक 26.03.2018 को जमा की गयी थी जबकि अवशेष रॉयल्टी ₹ 11,48,297 वर्तमान तक जमा नहीं की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा गया कि वन विकास निगम द्वारा माह जून 2018 मे अवगत कराया गया है कि संबन्धित लॉट मे वन पंचायत तोलमा द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है जिससे अवशेष रॉयल्टी प्राप्त नहीं हुई।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि असमय आवंटन की स्थिति मे प्रभाग द्वारा रॉयल्टी जमा करने की तिथियाँ तय नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ मे वर्णित आदेश दिनांक 03.11.2012 के बिन्दु संख्या 26(क) के अनुसार वन विकास निगम से मियाद बढ़ाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होने तथा कार्य अवधि व्यतीत हो जाने पर भी प्रभाग द्वारा वन विकास निगम से लॉट का निस्तारण कर अवशेष रॉयल्टी जमा कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(2) आगे पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि कार्यालय के पत्र संख्या 4252/9-1 दिनाँक 21.04.2017 द्वारा वन विकास निगम को वर्ष 2016-17 मे आवंटित लाट संख्या 01 से 16 (कुल 16 लॉट) के सम्बंध मे रॉयल्टी ₹ 2,65,330.64 का आंगणन कर रॉयल्टी भुगतान हेतु लिखा गया था। इस पत्र के क्रम मे वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि लॉट

संख्या 15, व 16 के अतिरिक्त अन्य किसी लॉट के सम्बंध मे रॉयल्टी देय नहीं है। इस संदर्भ मे वन विकास निगम द्वारा अपने पत्र संख्या 113/रॉयल्टी जनरल/2016-17 दिनाँक 02.05.17 मे यह उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No. 5-1/2007/FC दिनाँक 11.12.2008 एवं F.No. 5-1/98-FC/पीटी-II दिनाँक 29.03.2005 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्रांक 783/1-42 दिनाँक 07.09.2016 द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं कि विकास कार्य लाटों एवं खतरनाक वृक्षों की रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में उपरोक्त आदेशों/पत्रों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि विकास कार्य लाटों एवं खतरनाक वृक्षों की रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा न किये जाने के संबंध मे उपरोक्त आदेशों/पत्रों मे कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि समस्त लाटों मे वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी देय है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वन विकास निगम द्वारा मात्र ₹9,349/- रॉयल्टी ही जमा की गयी है।

इस प्रकार प्रभाग द्वारा अवशेष रॉयल्टी ₹ 2,55,981.64 (2,65,330.64 - 9349) वसूल किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः वन विकास निगम से रॉयल्टी ₹ 14,04,278.64 (11,48,297 + 2,55,981.64) वसूल न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>व्यय से संबन्धित</u>

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर- 04</u>: मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि से संबंधित लम्बित भुगतान ` 25.41 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा प्रख्यापित मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 2(तीन) के अनुसार वन जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मारे जाने की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष मे आंकलित कुल देय धनराशि का 20% धनराशि अग्रिम के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क वन-प्रभाग, जोशीमठ के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ मे पशु क्षति के 126 प्रकरण लंबित थे। आगे जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे 131 प्रकरण और प्रकाश मे आए जिनमे से इकाई द्वारा ₹15.12 लाख का भुगतान कर केवल 87 प्रकरणों का ही निस्तारण किया गया था एवं 170 प्रकरण निस्तारित किए जाने शेष थे जिनके सापेक्ष ` 25.41 लाख का भुगतान लम्बित था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा समस्त लंबित प्रकरणो मे नियमानुसार 20% धनराशि का अग्रिम भुगतान भी मवेशी स्वामियों को नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासन/मुख्यालय से बजट प्राप्त न होने के कारण भुगतान अवशेष है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलखों के अनुसार माह 03/2017 मे निधि मे ₹ 10.55 लाख अवशेष था जिससे अग्रिम राशि का भुगतान किया जा सकता था।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण ₹ 25.41 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
25/2015-16	-	01,02	
151/2017-18	-	01,02,03,04	01

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
			-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः** शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री चन्द्र शेखर जोशी	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वन अधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र